

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 1020/521/आउशि/सम्बद्धता/14  
प्रति,

भोपाल, दिनांक-28/2/15

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर, म०प्र०।

विषय:- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(xii) एवं 26 (एक) (v) एवं धारा 35 (j) के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र - पंडित नेहरू महाविद्यालय, बानमौर  
संदर्भ:- संस्था का आवेदन दिनांक 30.11.14

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संस्था का नाम शारदे शिक्षा प्रसार समिति, उदयपुरा, बानमौर द्वारा अशासकीय पंडित नेहरू महाविद्यालय, बानमौर को सत्र 2015-16 से निम्नानुसार कक्षाएँ/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र सशर्त जारी किया जाता है :-

विषय/पाठ्यक्रम

1. बी.एस.सी. तृतीय में (कम्प्यू. साइंस. अति० विषय)
2. बी.कॉम. तृतीय में (कम्प्यू० एप्ली० अति० विषय)
3. एम.ए. उत्तरार्द्ध - हिन्दी, राज० शास्त्र, समाज शास्त्र
4. एम.कॉम. उत्तरार्द्ध
- 2/ कालेज कोड-28 में नियुक्ति उपरांत ही विश्वविद्यालय संबद्धता प्रदान करेगा।
- 3/ उक्त पाठ्यक्रम संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 5/ अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। संस्था द्वारा कोई असत्य जानकारी देने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयंमेव समाप्त मानी जायेगी।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक-28/2/15

क्रमांक 1021/521/आउशि/सम्बद्धता/14  
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, म०प्र०।
3. प्राचार्य, अग्रणी शासकीय पी.जी. कन्या महाविद्यालय, मुरैना, म०प्र०।
4. प्राचार्य, अशासकीय पंडित नेहरू महाविद्यालय, बानमौर, मुरैना, म०प्र०।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश